

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 17, शक 1942

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/2010/29-1.— विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार से परामर्श के पश्चात्, छत्तीसगढ़ विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 53 की उप-धारा (4) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात:-

संशोधन

उक्त नियम में,—

(1) नियम 23 के उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :-

“ (4) तौल उपकरण की यथार्थता का उचित परीक्षण सुनिश्चित करने के लिये, उपयोगकर्ता उपकरण की क्षमता के दसवें भाग या एक टन, इसमें से जो भी कम हो, के बराबर सम्यक रूप से सत्यापित तथा मुद्रांकित बांटो को प्रत्येक तौल उपकरणों के स्थान में रखेगा और उपभोक्ता भी ऐसे तौल उपकरण की यथार्थता की जाँच कर सकेंगे :

परन्तु नियंत्रक उप व्यापार परिसर में, जहाँ तौल उपकरणों की संख्या एक से अधिक हों, सत्यापित और मुद्रांकित बांट रखे जाने के लिये उनकी कुल संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।”

(2) अनुसूची -ग्यारह में, अंतिम कॉलम के शीर्षक “ राजीनामा ” के स्थान पर, शीर्षक “ न्यूनतम राजीनामा शुल्क ” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 5th September 2020

NOTIFICATION

No. F 10-122/2010/29-1.— In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009, (No. 1 of 2010), after consultation with the Government of India, The State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, the same having been previously published as required by sub-section (4) of Section 53 of the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

- (1) For sub-rule (4) of rule 23, the following shall be substituted, namely,-

"(4) To ensure a proper check of accuracy of a weighing instrument, the user shall keep at site of each weighing instrument duly verified and stamped weight equal to one-tenth of the capacity of the instrument or one tone, whichever is less, and consumer can also check the accuracy of the weighing instrument:

Provided that the controller may specify the total number of verified and stamped weights to be maintained in trade premises where the number of weighing instruments are more than one"

- (2) In schedule-XI, for heading "compounding fine/amount" of the last column, the heading " Minimum compounding fees " shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.